तारीख हुक्म	
21/6/24	पत्रावली पेश हुई। [illegible] PO [illegible] है अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 21/6/24 को पेश हो।
2/8/24	पत्रावली पेश हुई। [illegible] PO [illegible] है अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 02/8/24 को पेश हो।
2/8/24	पत्रावली पेश हुई। [illegible] PO [illegible] है अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 06/8/24 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुयी। पेशकार सरकार उपस्थित। पेशकार सरकार को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा 2015-16 के परिप्रेक्ष्य में राजस्व (ग्रुप-6) विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक प. 3 (2) राज-6/2003/पार्ट/जयपुर दिनांक 10.8.2016 की पालना में तहसीलदार नीमकाथाना के पत्रांक भू.अ./2023/1216 दिनांक 10.10.2023 द्वारा आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तों को राजस्व अभिलेख में अंकन करने बाबत राजस्व ग्राम सिरोही पटवार मण्डल सिरोही, तहसील नीमकाथाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 336, 370, 343, 347/1, 347/2, 365, 366, 456, 459, 461 में प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना से मय राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रेस प्राप्त हुआ है। रास्ता मौके पर चालू होना एवं बारहमासी चलना बताया गया है। रास्ते के फोटोग्राफ पेश कर प्रस्तावित प्रचलित रास्ता को बारहमासी व सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ता मानते हुए उक्त रास्ते को गै०मु०रास्ता दर्ज करवाने हेतु प्रस्तावित किया है। अतः जनहीत के आवागमन हेतु मौके पर चालू प्रचलित रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू-राजस्व-अभिलेख नियम 1957 के नियम 59, 60 व 88 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार नीमकाथाना के द्वारा प्रस्तावित संलग्न प्रस्ताव अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस के अनुसार राजस्व अभिलेख में उचित नामान्तरकरण खसरा पृथक करते नम्बर अंकित करते हुवे रास्ते के रकबा को किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे एवं नक्शों में तरमीम की जावे। तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस आदेश का भाग होगा तदानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार, नीमकाथाना को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना
(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.03.26 11:36:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner